

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :-218 / 2025

प्रार्थी:-

गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवसी पादरडी कल्ला तहसील सिवाना
जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती
उपस्थित :-

श्री ललित जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश ::--

दिनांक :- 05.01.2026


प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया

है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि
खसरा संख्या 72 रकबा 0.3327 हैक्टेयर भूमि ग्राम पर्वतनगर तहसील सिवाना में व
खसरा संख्या 337 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना में
अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता श्री इन्द्रसिंह के फौतदगी नामान्तरकरण
दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "गंगासिंह पुत्र
इन्द्रसिंह" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात
में प्रार्थी का वास्तविक नाम "गेमरसिंह" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध
अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले
पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। ग्रामीण

सेवा शिविर 2025 के तहत दिनांक 17.10.2025 को ग्राम पंचायत पादरडी कल्ला में

आयोजित शिविर में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के  में

तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में

आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी

आदि प्रस्तुत किये ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम "गेमरसिंह" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 72 रकबा 0.3327 हैक्टेयर भूमि ग्राम पर्वतनगर व खसरा संख्या 337 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "गंगासिंह" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "गेमरसिंह" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "गंगासिंह" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "गेमरसिंह" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 72 रकबा 0.3327 हैक्टेयर भूमि ग्राम पर्वतनगर तहसील सिवाना में व खसरा संख्या 337 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "गंगासिंह पुत्र इन्द्रसिंह" के स्थान पर "गंगासिंह उर्फ गेमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बिहार)